

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 04.11.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कौडिया पुलिस ने 05, थाना को0देहात पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खोडारें पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कृष्णा चौहान उर्फ पुहन पुत्र रामजियावन निवासी केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी टेंगनहवां थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 184/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नीरज कुमार पुत्र हीरालाल गुप्ता निवासी ग्राम पृथ्वीपालगंज ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ने वैध अंग्रेजी शराब, बीयर व एवन ब्राण्ड के पौवे के मानक मूल्य के लेवल को हटाकर ग्राहको के साथ छल करते हुए मनमानी दाम पर बेचना पर मु0अ0सं0- 276/22 धारा 60 आबकारी अधि0 व 420 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2022

**महिला को नशीली चाय पीलाकर उसके साथ दुष्कर्म करना व फोटो/वीडियों वायरल करने का
वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु०अ०सं० 328/2022 धारा 376, 328 भादवि व 67 आई०टी० एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त - विक्रमा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को चाय में नशीला पदार्थ पीलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था तथा फोटो/वीडियों वायरल किया था। जिसके सम्बन्ध में महिला द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विक्रमा प्रसाद पाण्डेय पुत्र सुर्य प्रसाद पाण्डेय निवासी तेन्दुआरानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 328/2022 धारा 376, 328 भादवि व 67 आई०टी० एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० दिनेश कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2022

दहेज के लिए प्रताडित व मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने का वांछित अभियुक्त

गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 220/2022 धारा 323, 504, 506, 498(A), 328, 308 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद तिवारी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में पीडिता के पिता द्वारा थाना खरगपुर में अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र गोबर्धन तिवारी निवासी ललकपुरवा मौजा वीरपुर झलहिया थाना खरगपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 220/2022 धारा 323,504,506,498(A),328, 308 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 भोलाशंकर मय टीम।